प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 07 मई, 2015**

विषयः **अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की योजनाओं में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में विधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-30-31/बजट-आयोजनागत/2015-16, दिनांक 27.4.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की योजनाओं में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-8550 हजार (रूपये-पच्चासी लाख पचास हजार) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत		
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-		
112-सार्वजनिक उद्यान-		
04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क-		
02- मजदूरी	3746	2500
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	0
42- अन्य व्यय	4000	896
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	3214	1604
योग	**10980**	**5000**

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

05- राजकीय उद्यान नारायण बाग, झांसी		
02- मजदूरी	1500	1500
42- अन्य व्यय	250	250
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	1800	1800
योग	**3550**	**3550**
कुल योग	**14530**	**8550**

(रूपये-पच्चासी लाख पचास हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व तैयार किये गये आगणन पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन एवं पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत किया जा रहा है। अन्य मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी, उत्तरदायी होंगे।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(8) अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 08/2015/963(1)/58-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in